



सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,

30प्र0 सभी छे लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, मिशातगंज, लखनऊ -223 007

प्रेषक,

अपर राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
मिशातगंज, लखनऊ

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, 30प्र0

पत्रांक: मदरसा निर्देश/ 830 /2010-11

दिनांक: 12 मई, 2010

विषय:- वर्ष 2010-11 में मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्देश।

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2010-11 की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी हैं। मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण (पूर्व से सुदृढीकृत एवं नवीन मदरसों) का जनपदवार स्वीकृत लक्ष्य परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्देश निम्नवत हैं:-

मदरसा सुदृढीकरण (प्राइमरी)

- दीनी तालीम एवं स्टेट अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा के औपचारिक विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को अतिरिक्त 3-4 घण्टे की शिक्षा प्रदान कर स्टेट अरबी फारसी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों के सुदृढीकरण किये जाने की व्यवस्था की जाये।
- वर्ष 2010-11 में लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत (पूर्व से सुदृढीकृत एवं नवीन मदरसों) स्टेट अरबी फारसी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों के सुदृढीकरण हेतु सम्बन्धित प्रबन्ध समिति से सहमति प्राप्त कर सुदृढीकरण की कार्यवाही की जाये।
- अनुदेशक का चयन सम्बन्धित मदरसों की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति अर्थात हाईस्कूल उत्तीर्ण जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को अनुदेशक के रूप में चयनित किया जाये जो कि यथासम्भव स्थानीय या समुदाय का व्यक्ति हो।
- स्टेट अरबी फारसी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों (सुदृढीकृत केन्द्रों) में नामांकित सभी बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिकायें विद्यालयों में

195-

D:\main folder\Madarsa Nirdesh-10-11\AIE NIRDESH 2010-11.doc

1

अध्ययनरत बच्चों की भांति निःशुल्क सीधे जनपद द्वारा क्रय करके उपलब्ध करायी जायेगी जिसका व्यय मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्राविधानित बजट से किया जायेगा।

- मदरसा केन्द्रों में बच्चों को उपलब्ध करायी जाने शिक्षण सामग्री यथा पेन्सिल, रबर, कटर, कॉपीर , कलर आदि ब्राण्डेड कम्पनी की क्रय कर वितरित की जायें। केन्द्र में घटिया सामग्री पाये जाने की दशा में सम्बन्धित प्रधानाध्यापक (सदस्य सचिव-सम्बन्धित ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति) के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला समन्वयक (वै०शि०) का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि केन्द्रों में दी जाने वाली सामग्री उच्च कोटि की हो तथा ब्राण्डेड हो। जिला समन्वयक (वै०शि०) प्रत्येक केन्द्र में उक्त सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे तथा रिसीविंग प्राप्त करेंगे।
- स्टेट अरबी फारसी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों (सुदृढीकृत केन्द्रों) में नामांकित बच्चों को निकट के विद्यालय से समन्वय स्थापित कर मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत पका पकाया भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
- केन्द्र संचालन की समय अवधि एवं स्थल के पते की सूचना प्रत्येक दशा में केन्द्र स्थल पर अंकित की जायेगी। इसके अतिरिक्त निकट के प्राथमिक विद्यालय एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/नगरीय संसाधन केन्द्र व ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर केन्द्र संचालन स्थल एवं समय अवधि सहित सूचना बोर्ड पर अनिवार्यतः लगाई जाये। केन्द्रों के संचालन संबंधी पूर्ण सूचना का प्रचार-प्रसार न पाये जाने की स्थिति में संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा अधिकारी एवं बी०आर०सी० समन्वयक उत्तरदायी होंगे।
- उक्त मदरसों (सुदृढीकृत केन्द्रों) में बच्चों को यथावश्यक प्राथमिक कक्षाओं के आवश्यक विषयों की दक्षतायें उनकी सम्प्राप्ति के आधार पर प्राप्त करायी जाय।
- केन्द्र संचालन हेतु अनुमन्य मदवार बजट व केन्द्र सामग्री का विस्तृत विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

अनुदेशकों का प्रशिक्षण

- मदरसों के नव नियुक्त अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में कराया जाये।
- पुराने मदरसों के अनुदेशकों का 15 दिवसीय पुनर्बोधार्थक प्रशिक्षण डायट में कराया जाये।
- अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु नामों की सूची जनपद की डायट को समय-सारिणी में निर्धारित प्रशिक्षण समय से पूर्व ही अवश्य प्रेषित कर दी जाय।

निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण हेतु लक्ष्यों का निर्धारण

क्र सं०	अनुश्रवण कर्ता	लक्ष्य	समीक्षा बैठक
1	निकटतम विद्यालय का प्र०अ०	प्रत्येक केन्द्र सप्ताह में एक बार	ए०बी०एस०ए०/ न०शि०अ० माह में एक बार अपने क्षेत्र के समस्त अनुदेशकों एवं सम्बन्धित प्र०अ० एवं बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की संयुक्त बैठक अवश्य करेंगे
2	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	प्रत्येक केन्द्र सप्ताह में एक बार	
3	बी०आर०सी० समन्वयक	प्रत्येक केन्द्र 15 दिन में एक बार	
4	सहा०बे०शि०अधिकारी/न०शि०अ०	प्रत्येक केन्द्र 15 दिन में एक बार	

5	जिला समन्वयक वै०शिक्षा	माह में न्यूनतम 10 केन्द्र	अनुभव कर्ताओं द्वारा किये गये
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	माह में न्यूनतम 5 केन्द्र	निरीक्षणों की समीक्षा जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिन में एक बार अवश्य की जाये।

- निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण के समय केन्द्र, केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों की फोटोग्राफी की जाये एवं निरीक्षण आख्या के साथ उक्त फोटो ग्राफ भी संलग्न किया जाये। मदरसा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु प्रपत्र संलग्न है। (संलग्नक प्रपत्र- 2)
- जिला समन्वयक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की निरीक्षण आख्या प्रति माह 5 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय एवं साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये।

मदरसों के सुदृढीकरण हेतु समय-सारिणी

कार्य	समय-सारिणी
<ul style="list-style-type: none"> • संचालित केन्द्र जारी रखने की आवश्यकता का आंकलन • मदरसों (पूर्व से सुदृढीकृत एवं नवीन मदरसों हेतु) के प्रबन्धकों से सहमति/ अनुदेशक का चयन • वी०ई०सी०/डब्ल्यू०ई०सी० को धनराशि हस्तान्तरण • पाठ्यपुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता हेतु अग्रिम तैयारी • प्रशिक्षण हेतु डायट को चयनित अनुदेशकों की सूची का प्रेषण • अनुदेशकों का प्रशिक्षण 	<p>25 जून 2010 तक</p>
<ul style="list-style-type: none"> • केन्द्रों का सुदृढीकरण (संचालन) 	01 जुलाई 2010 से


केन्द्रों पर वित्तीय प्रबंधन

- मदरसा सुदृढीकरण की वित्तीय व्यवस्था राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा आवंटित बजट के अनुसार की जायेगी।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष सभी केन्द्रों का सुदृढीकरण /संचालन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीय,



(अशोक गागुंली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

195

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ.प्र., लखनऊ।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लखनऊ
3. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
5. रजिस्ट्रार, अरबी फारसी मदरसा बोर्ड, उ०प्र०, लखनऊ।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उ.प्र.।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त जनपद, उ.प्र.।
8. जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा), समस्त जनपद, उ.प्र.।



(दिनेश बाबू शर्मा)

अपर परियोजना निदेशक

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2010-11 में जनपदवार स्वीकृत मदरसा सुदृढीकरण के लक्ष्य

क्र० सं०	जनपद	मदरसा (पूर्व से सुदृढीकृत)		मदरसा (नवीन)	
		स्वीकृत केन्द्र	वित्तीय प्रावधान (रु० लाख में)	स्वीकृत केन्द्र	वित्तीय प्रावधान (रु० लाख में)
1	आगरा	0	0.00	0	0.00
2	अलीगढ़	12	3.82	0	0.00
3	इलाहाबाद	56	17.81	0	0.00
4	अम्बेडकरनगर	11	3.50	40	14.50
5	औरैया	2	0.64	4	1.45
6	आजमगढ़	6	1.91	0	0.00
7	बदायूं	14	4.45	7	2.54
8	बागपत	0	0.00	0	0.00
9	बहराइच	16	5.09	63	22.84
10	बलिया	55	17.49	25	9.06
11	बलरामपुर	4	1.27	0	0.00
12	बांदा	0	0.00	0	0.00
13	बाराबंकी	28	8.90	50	18.13
14	बरेली	11	3.50	36	13.05
15	बस्ती	10	3.18	20	7.25
16	भदोही	15	4.77	3	1.09
17	बिजनौर	3	0.95	2	0.73
18	बुलन्दशहर	0	0.00	0	0.00
19	चन्दौली	3	0.95	13	4.71
20	चित्रकूट	0	0.00	0	0.00
21	देवरिया	100	31.80	0	0.00
22	एटा	0	0.00	0	0.00
23	इटावा	9	2.86	0	0.00
24	फैजाबाद	28	8.90	0	0.00

25	फर्रुखाबाद	11	3.50	0	0.00
26	फतेहपुर	28	8.90	38	13.78
27	फिरोजाबाद	7	2.23	9	3.26
28	गौतमबुद्धनगर	0	0.00	0	0.00
29	गजियाबाद	18	5.72	27	9.79
30	गाजीपुर	97	30.85	32	11.60
31	गोण्डा	7	2.23	0	0.00
32	गोरखपुर	0	0.00	41	14.86
33	हमीरपुर	6	1.91	0	0.00
34	हरदोई	21	6.68	0	0.00
35	हाथरस	0	0.00	0	0.00
36	जालौन	12	3.82	24	8.70
37	जौनपुर	17	5.41	38	13.78
38	झांसी	43	13.67	0	0.00
39	जे०पी० नगर	4	1.27	0	0.00
40	कन्नौज	12	3.82	6	2.18
41	कानपुर देहात	7	2.23	14	5.08
42	कानपुर नगर	9	2.86	7	2.54
43	कौशाम्बी	31	9.86	9	3.26
44	कुशीनगर	24	7.63	10	3.63
45	लखीमपुर खीरी	22	7.00	46	16.68
46	ललितपुर	0	0.00	0	0.00
47	लखनऊ	13	4.13	33	11.96
48	महाराजगंज	25	7.95	0	0.00
49	महोबा	4	1.27	0	0.00
50	मैनपुरी	8	2.54	0	0.00
51	मथुरा	0	0.00	0	0.00
52	मऊ	38	12.08	2	0.73
53	मेरठ	0	0.00	0	0.00

५५

54	मिर्जापुर	11	3.50	40	14.50
55	मुरादाबाद	7	2.23	0	0.00
56	मुजफ्फरनगर	4	1.27	6	2.18
57	पीलीभीत	14	4.45	16	5.80
58	प्रतापगढ़	17	5.41	16	5.80
59	रायबरेली	11	3.50	10	3.63
60	रामपुर	8	2.54	0	0.00
61	सहारनपुर	5	1.59	4	1.45
62	संतकबीरनगर	7	2.23	16	5.80
63	शाहजहांपुर	35	11.13	58	21.03
64	सिद्धार्थनगर	111	35.30	0	0.00
65	सीतापुर	78	24.80	60	21.75
66	सोनभद्र	4	1.27	8	2.90
67	श्रावस्ती	6	1.91	1	0.36
68	सुल्तानपुर	20	6.36	36	13.05
69	उन्नाव	29	9.22	63	22.84
70	वाराणसी	35	11.13	13	4.71
71	कांशीरामनगर	0	0.00	0	0.00
	योग	1249	397.18	946	342.93

७५

मदरसा हेतु धनराशि का मदवार विवरण

क्र०सं०	मद	नवीन केन्द्र हेतु (धनराशि रु० में)	पुराने केन्द्र हेतु (धनराशि रु०में)
1.	अनुदेशक मानदेय @रु० 2000 प्रतिमाह X 1 अनुदेशक X 10 माह	20000.00	20000.00
2.	बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री @रु० 350 प्रति छात्र X 25 छात्रों हेतु	8750.00	8750.00
3.	केन्द्र हेतु शिक्षण सामग्री @रु० 3400 प्रति केन्द्र	3400.00	
4.	केन्द्र कन्टीजेन्सी @2000 प्रति केन्द्र प्रति वर्ष	2000.00	2000.00
5.	अनुदेशक प्रशिक्षण हेतु (डायट को) @ रु० 70 प्रति दिन प्रति अनुदेशक (30 दिनों हेतु) आधार भूत प्रशिक्षण अनुदेशक पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण 15 दिवसीय	2100.00	1050.00
	कुल योग	36250.00	31800.00
	यूनिट कास्ट (प्रति छात्र)	1450.00	1272.00

नोट : बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री मद में आंगणन @ रु० 350 प्रति छात्र x 25 छात्रों हेतु किया गया है परन्तु केन्द्र में नामांकित वास्तविक संख्या के अनुसार ही प्रति छात्र का व्यय किया जाये। शेष मद यथावत् रहेंगे।

मदरसों के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री

क्रम	मद	संख्या (प्रति छात्र)
1.	कापियां (120 पेज)	12
2.	पेन्सिल	12
3.	रबर	05
4.	कटर	02
5.	क्रेयान	01
6.	स्केल(प्लास्टिक/लकड़ी) 12 इंच, चाँदा, परकार	01
7.	पेन (डॉट पेन)	02
8.	आर्ट कापी	01
9.	किताबें + कार्यपुस्तिका	01 सेट
10.	स्कूल बैग	01
11.	स्लेट एवं चॉक	01 सेट
	योग	

मदरसों हेतु उपकरण/सामग्री

क्रम	सामग्री का नाम	संख्या
1.	बॉक्स ताला सहित (3'x2'x2') 24 गेज	01
2.	ब्लैक बोर्ड लकड़ी स्टैण्ड सहित	01
3.	चटाई (6'x3')	10
4.	बाल्टी ढक्कन सहित	01
5.	डण्डी वाला लोटा	01
6.	रिंग	04
7.	कूदने वाली रस्सी	04
8.	कैरमबोर्ड/फुटबाल	01
9.	चाँक	25 डिब्बे
10.	चार्ट (मानचित्र, यथा राज्य, देश,संसार)वर्णमाला-हिन्दी, अंग्रेजी,पशु-पक्षी, फल, पहाड़े आदि	08
11.	रजिस्टर (2 क्वाचर)	04
12.	छात्र उपस्थिति पंजिका	01
13.	गोंद	100 ग्रा.
14.	कागज	01 रिम
15.	कैंची	01
16.	चार्ट पेपर	13
17.	नेलकटर	02
18.	साबुन (कपड़े धोने वाला)	04
19.	साबुन (हाथ धोने वाला)	04
20.	तौलिया	02
21.	इस्टर	04
22.	स्केल (प्लास्टिक/ लकड़ी) एक फुट, चाँदा, परकार	01
23.	स्कैच पेन	4 दर्जन
24.	पोस्टर/वाटर कलर	02 पैकेट
25.	अबेकस छोटा	01
26.	झाडू (सफाई हेतु)	01

केन्द्र बन्द होने पर सभी नॉन कन्ज्यूम्बल सामग्री निकटतम परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सूची बनाकर जमा की जायेगी। इसका उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाध्यापक/एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 समन्वयक का होगा।

158

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत मदरसा (सुदृढीकृत केन्द्रों) हेतु निरीक्षण/अनुश्रवण प्रपत्र

- मदरसा का नाम व पता
- मदरसे के संचालन का समय
न्याय पंचायत/वार्ड
केन्द्र से निकटतम प्राथमिक विद्यालय का नाम एवं दूरी
- मदरसे में सुदृढीकृत केन्द्र के संचालन का समय
विकास खण्ड
जनपद
- ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति को धन अवमुक्त किये जाने की स्थिति
- ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति के सदस्य- सचिव का नाम एवं मो0 न0
- केन्द्र प्रारम्भ होने की तिथि
संचालन समय
- निरीक्षण की तिथि
निरीक्षण का समय

बच्चों की उपस्थिति

कक्षा	मदरसा में नामांकित बच्चों की संख्या		सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में नामांकित बच्चों की संख्या		सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में उपस्थित बच्चों की संख्या	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1						
2						
3						
4						
5						
योग						

सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में नामांकित बच्चों का आयुवार विवरण

6 से 11 वर्ष के छात्र			6 वर्ष से कम आयु के बच्चे			11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग

अनुदेशक का विवरण

अनुदेशक का नाम	डायट द्वारा वर्ष 2010-11 में प्रशिक्षित (हां/नहीं)	उपस्थिति (हां/नहीं)	मानदेय किस माह तक दिया गया।	मानदेय भुगतान (नकद / चेक)	यदि अद्यतन भुगतान नहीं तो कारण

सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में सामग्री उपलब्धता की स्थिति

क्र.सं.	वस्तु सामग्री	वर्ष 2009-10 की अवशेष सामग्री	2010-11 में नवीन क्रय की गयी सामग्री	प्रयोग की स्थिति
1.	बैठने के लिए चटाई,			
2.	ब्लैक बोर्ड, स्केल, क्रेयान, वाटर/पोस्टर कलर स्केच पेन, कैंची, डस्टर, चाक			
3.	जनपद, राज्य, देश, बारह खड़ी, वर्णमाला चार्ट			
4.	नेलकटर, तौलिया, साबुन, बाल्टी, गिलास			
5.	फुटबाल, रिंग, रस्सी कूदने की			
6.	बच्चों के पास किताबें, वर्क बुक, कापी व स्टेशनरी			
7.	छात्र उपस्थिति पंजिका, आगन्तुक पंजिका			

अधिगम सम्प्राप्ति की स्थिति

प्री टेस्ट की तिथि	प्री टेस्ट के अनुसार बच्चों की संख्या					निरीक्षण के समय अधिगम सम्प्राप्ति के अनुसार संख्या				
	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5

केन्द्र पर भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता

शौचालय		हैण्डपम्प			केन्द्र पर स्वच्छता की स्थिति	केन्द्र का बोर्ड
हां/नहीं	यदि हां तो प्रयोग की स्थिति	हां/नहीं	यदि हां तो प्रयोग की स्थिति	यदि नहीं तो पेय जल की अन्य व्यवस्था	खराब/सामान्य/उत्कृष्ट	है/नहीं

केन्द्र पर शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता

माड्यूल		समय सारिणी		लर्निंग/रीडिंग कार्नर		टी एल एम	
उपलब्धता हां/नहीं	प्रयोग की स्थिति	उपलब्धता हां/नहीं	प्रयोग की स्थिति	उपलब्धता हां/नहीं	प्रयोग की स्थिति	उपलब्धता हां/नहीं	प्रयोग की स्थिति

शैक्षिक गतिविधियां

वर्क बुक की जांच एवं सुधार की स्थिति		गृह कार्य की जांच एवं सुधार की स्थिति		शिक्षण गतिविधियां				
हां/नहीं	हां/नहीं	परम्परागत	खेल आधारित	कहानी/कविता	पियर ग्रुप/बहु कक्षा शिक्षण	पाठ्यक्रम विभाजन (साप्ताहिक/मासिक विभाजन) के अनुसार शिक्षण (हां/नहीं)	अन्य	

मध्यान्ह भोजन की स्थिति

मिड डे मील वितरण की स्थिति		वितरण हेतु अद्यतन किये गये प्रयास	सुझाव यदि कोई हो
हां/नहीं	यदि नहीं तो कारण		

केन्द्रों पर किये गये निरीक्षण की स्थिति

गत माह तक कुल निरीक्षण	वर्तमान माह में निरीक्षण की संख्या								
	NPRCC	BRCC	ABS/NSA	MENTOR	D.C	Dy BSA	BSA	अन्य	योग

मुख्य धारा में शामिल किये गये बच्चों का विवरण:- केन्द्र एवं विद्यालय में मेनस्ट्रीमिंग के अभिलेख उपलब्ध होने की स्थिति:-

वर्ष	कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
09-10												
10-11												

बच्चों की स्थिति	प्रोफाइल बनाये जाने की स्थिति	प्रमाणपत्र/माइग्रेशन कार्ड दिये जाने की स्थिति	ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति/मदरसा प्रबन्धक समिति द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा दी गयी सामग्री		स्वास्थ्य परीक्षण की तिथियां
			केन्द्र को दी गयी सामग्री	बच्चों को दी गयी सामग्री	
हां/ नहीं	कितने बच्चों की बनी है।	हां/नहीं	कितने बच्चों को दिये गये		

निरीक्षण कर्ता द्वारा प्रधानाध्यापक/सचिव से की गयी वार्ता एवं गत निर्देशों के अनुपालन के मुख्य बिन्दु एवं केन्द्र के फोटोग्राफ संलग्न किये जाये।

दिनांक

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पद

